> सार्वजनिक निवेश महत्वपूर्ण बुनियादी क्षेत्रों को बल प्रदान करता है, पूंजी स्टॉक और उत्पादकता को सीधे बढ़ाकर व्यापक अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने तथा निजी निवेश को आकर्षित करने में इसकी क्षमता ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हो चुकी है.
>
> *—शक्तिकांत दास [1]*

2

आधारभूत संरचना विकास के माध्यम से ग्रामीण भारत का निर्माण

2.1 आधारभूत संरचना विकास की गति को बढ़ाती है

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और 2030[2] तक संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण है. वित्तीय वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी अतिरिक्त आधारभूत संरचना[3] की आवश्यकता है. अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि अलग-अलग देशों[4] में आधारभूत संरचना के स्टॉक में 1% की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1% की वृद्धि से जुड़ी हुई है. आधारभूत संरचना में प्रभावी निवेश का अनुमानित कल्याण गुणक 0.8 हो तो लोक कल्याण की दृष्टि से उससे काफी लाभ होंगे.[5] कई अध्ययनों ने सैद्धांतिक[6] रूप से यह स्पष्ट किया है और अनुभवों[7] के आधार पर साबित हो चुका है कि कृषि क्षेत्र के विकास पर आधारभूत संरचना का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. गुलाटी और अन्यों (2021) ने आधारभूत संरचना को कृषि क्षेत्र की प्रगति के तीन महत्वपूर्ण कारकों में से एक के रूप में सुस्थापित किया है. (बॉक्स 2.1).[8] विभिन्न एजेंसियों ने आधारभूत संरचना की अलग-अलग तरीके से व्याख्या की है. (बॉक्स 2.2).

बॉक्स 2.1: कृषि क्षेत्र की संवृद्धि में ग्रामीण आधारभूत संरचना की भूमिका

गुलाटी और अन्यों द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन 2021 से यह स्पष्ट हुआ है कि छह राज्यों नामतः पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कृषि क्षेत्र की प्रगति के तीन महत्वपूर्ण घटक साबित हुए हैं अर्थात् (i) सिंचाई, सड़कें और निर्बाध गुणवत्तापूर्ण बिजली सहित आधारभूत संरचना तक पहुंच; (ii) फल, सब्जियों जैसे उच्च मूल्य के कृषि उत्पादों और डेयरी तथा मुर्गी पालन जैसी सहायक गतिविधियों के रूप में विविधीकरण; और (iii) मूल्य प्रोत्साहन अथवा व्यापार की अनुकूल शर्तें.

यह अध्ययन बाज़ारों को किसानों के नजदीक लाने का समर्थन करता है. महामारी के पश्चात् आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ₹1लाख करोड़ की अन्य कृषि आधारभूत संरचना निधि की स्थापना से पर्याप्त शीत भंडारण, फ़सलोपरांत प्रबंधन संबंधी आधारभूत संरचना और खेत के आस-पास बाज़ारों के अभाव की समस्या का समाधान हो पाएगा.

(जारी)

अध्ययन से यह पता चला है कि मूल्य शृंखला की दक्षता में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है जिसने गुजरात (मुख्यतः कपास, मूँगफली, पशुधन); मध्य प्रदेश (गेंहू, सोयाबीन, दालों); ओडिशा (पशुधन, फल और सब्जियों); और बिहार (मक्का और पशुधन) में कृषि क्षेत्र की प्रगति को स्पष्ट किया है.

स्रोत : गुलाटी, अशोक, रंजना रॉय और श्वेता सैनी (संपादक) (2021) रिवाइटलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर एंड बूस्टिंग फार्मर इन्कम, स्प्रिंजर, नई दिल्ली

बॉक्स 2.2: आधारभूत संरचना क्या है?

विश्व बैंक

- बिजली, दूर-संचार, पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति, सफाई और नाले, ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करना और उसका निपटान तथा पाइप गैस जैसी सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं.
- सार्वजनिक निर्माण कार्य जिनमें सड़कों के साथ साथ सिंचाई और जल-निकास के लिए बड़े बाँध और नहरें शामिल हैं.
- शहरी और अंतरनगरीय रेलवे, शहरी परिवहन, बन्दरगाहों और जलमार्गों और हवाई अड्डों सहित परिवहन के अन्य क्षेत्र.

संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन

- उत्पादनशील कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली भौतिक संरचनाएं और उनकी योजना, अधिप्राप्ति, डिजाइन, निर्माण, विनियमन, परिचालन और रखरखाव के लिए सहयोगी संबंधित संगठनात्मक व्यवस्था.

एशियाई विकास बैंक

- आधारभूत संरचना में परिवहन (सड़क, रेल, हवाई अड्डे और बंदरगाह); ऊर्जा, दूर-संचार; और जल तथा सफाई, बांध, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों में अचल आस्ति निवेश शामिल है.

भारतीय रिज़र्व बैंक

- आधारभूत संरचना में निम्नलिखित क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं:
  - » सड़क, टोल सड़क सहित, पुल अथवा रेल व्यवस्था;
  - » राजमार्ग परियोजना – ऐसी गतिविधियों सहित जो राजमार्ग परियोजनाओं का अभिन्न अंग हैं:
  - » बंदरगाह, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जलमार्ग अथवा अंतर्देशीय बंदरगाह;
  - » जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सफाई और सीवर व्यवस्था, अथवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली;
  - » दूर संचार सेवा

नाबार्ड

- नाबार्ड ने निर्दिष्ट समय में पात्र गतिविधियों का विस्तार किया है और उन्हें वैविध्यपूर्ण बनाया है. वर्तमान में नाबार्ड ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत (i) सिंचाई; (ii) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र; (iii) ग्रामीण कनेक्टिविटी (सड़कें और पुल); और (iv) सामाजिक क्षेत्र (पेयजल के प्रबंध से संबंधित परियोजनाएं, ग्रामीण शिक्षा संस्थाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाएं, स्कूलों में शौचालयों का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण, सफाई संबंधी आधारभूत संरचना और ग्रामीण औद्योगिक संपदा) जैसी 37 गतिविधियों को वित्तपोषण प्रदान करता है.

स्रोत:

1. वर्ल्ड बैंक (1994), वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994; इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित, न्यू यॉर्क, बॉक्स 1, पी 2. http://documents1.worldbank.org/curated/en/535851468336642118/pdf/131840REPLACEMENT0WDR01994.pdf.
2. वॉर्नर, मिशेल, डेविड कहान और जिल्विया लेहेल (2008), 'मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर: एप्रेजल ऑफ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप', एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड फ़िनान्स ओकेजनल पेपर 8, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन्स, रोम, पी1, पैरा 2.एशियन डेवलपमेंट बैंक http://www.fao.org/3/i0465e/i0465e.pdf.
3. एडीबी (2017), मीटिंग एशियाज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर नीड्स, मनीला. पी. 19. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/special-report-infrastructure.pdf.
4. भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपी. बीसी. सं. 66/ 08.12.014/ 2013-14 दिनांक 25 नवंबर 2013.

भारत ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान आधारभूत संरचना के निर्माण को पहले से अधिक प्राथमिकता दी है. राष्ट्रीय आधारभूत संरचना पाइपलाइन (एनआईपी) पर बने कार्यदल ने केंद्र और राज्यों द्वारा ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास पर वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2025 के बीच ₹7,73,915 करोड़ के पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया है (चित्र 2.1).[9]

चित्र 2.1: ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए पूंजीगत व्यय का विवरण (वित्तीय वर्ष 2020–वित्तीय वर्ष 2025) (₹ करोड़)

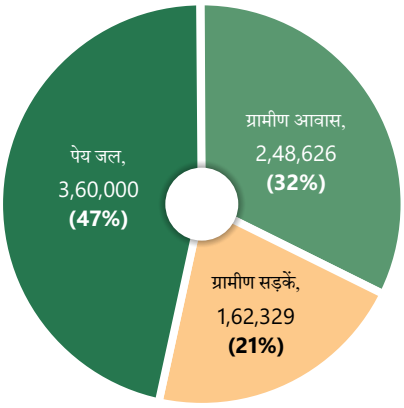

नोट: राज्य के बजट से ग्रामीण आधारभूत संरचना पर अनुमानित पूंजीगत व्यय ₹2,960 करोड़.

स्रोत: भारत सरकार (2020), *राष्ट्रीय आधारभूत संरचना पाइपलाइन पर कार्यदल की रिपोर्ट*, वॉल्यूम II, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.

2.2 आधारभूत संरचना की क्षेत्रीय उपलब्धता

ईपीडब्ल्यू अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए राज्य-वार सम्मिश्र ग्रामीण आधारभूत संरचना सूचकांक (आरआईआई)[10] में झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को निम्न ग्रामीण आधारभूत संरचना सूचकांक वाले राज्यों के रूप में दर्शाया गया है (चित्र 2.2).[11] इसलिए इन राज्यों में ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बनाने हेतु उन राज्यों को उच्च प्राथमिकता देना अनिवार्य है. नाबार्ड द्वारा वार्षिक रूप से आरआईडीएफ़ के अधिक आबंटन के लिए निम्न आधारभूत संरचना सूचकांक को एक मानदंड माना जाता है.

सिंचाई के लिए उच्च ग्रामीण आधारभूत संरचना सूचकांक (0.7 से अधिक) वाले अधिकतर राज्य खाद्यान्न के प्रमुख उत्पादक भी हैं जिनमें सिंचाई का कवरेज[12] उच्च है– पंजाब(99%), हरियाणा (92.7%), पश्चिम बंगाल (80.4%) और उत्तर प्रदेश (69.8%).[13] बड़े राज्य जिनका सिंचाई के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना सूचकांक निम्न है – ओडिशा (0.195), महाराष्ट्र (0.209), और छत्तीसगढ़ (0.243). ये राज्य शीर्ष दस राज्यों में से हैं जिन्हें ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ़)[14] के अंतर्गत सिंचाई के लिए ऋण मंजूर किए गए हैं. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में सिंचाई संबंधी निवेश को प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता है जिनमें से तीन राज्य ऐसे हैं जो सिंचाई के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना सूचकांक की दृष्टि से नीचे के पाँच राज्यों में शामिल हैं. (चित्र 2.2).

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के साथ-साथ बिहार, उत्तराखंड और गोवा जैसे प्रमुख राज्य ग्रामीण आधारभूत संरचना सूचकांक में कृषि और अनुषंगी

चित्र 2.2: राज्य द्वारा ग्रामीण आधारभूत संरचना सूचकांक: सर्वोत्कृष्ट और निकृष्ट कार्य करने वाले

अ. सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले

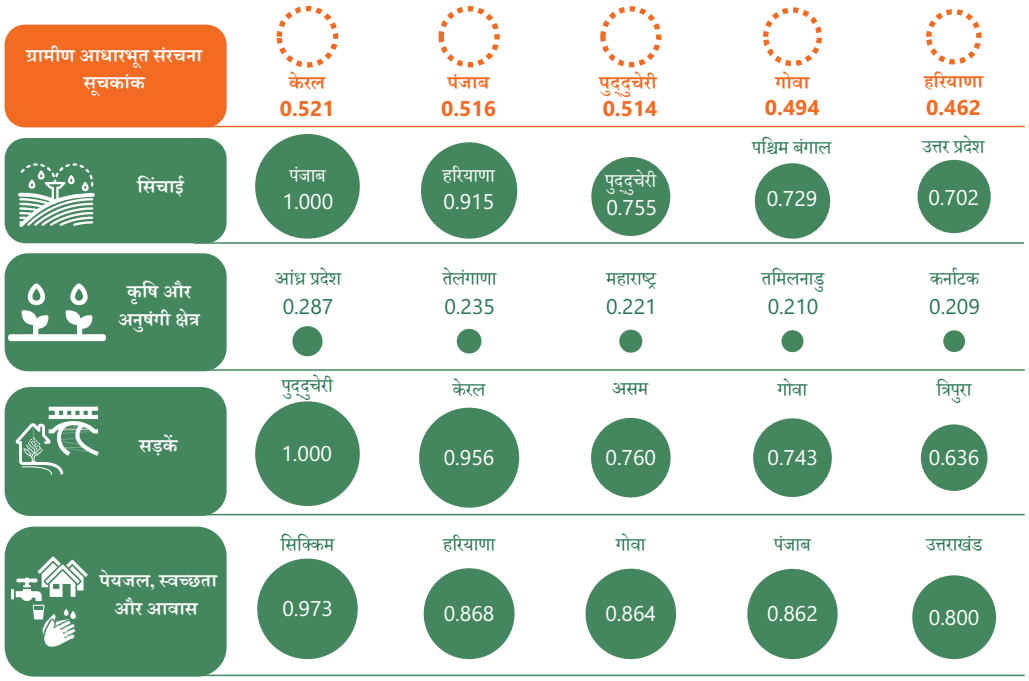

आ. निकृष्ट कार्य करने वाले

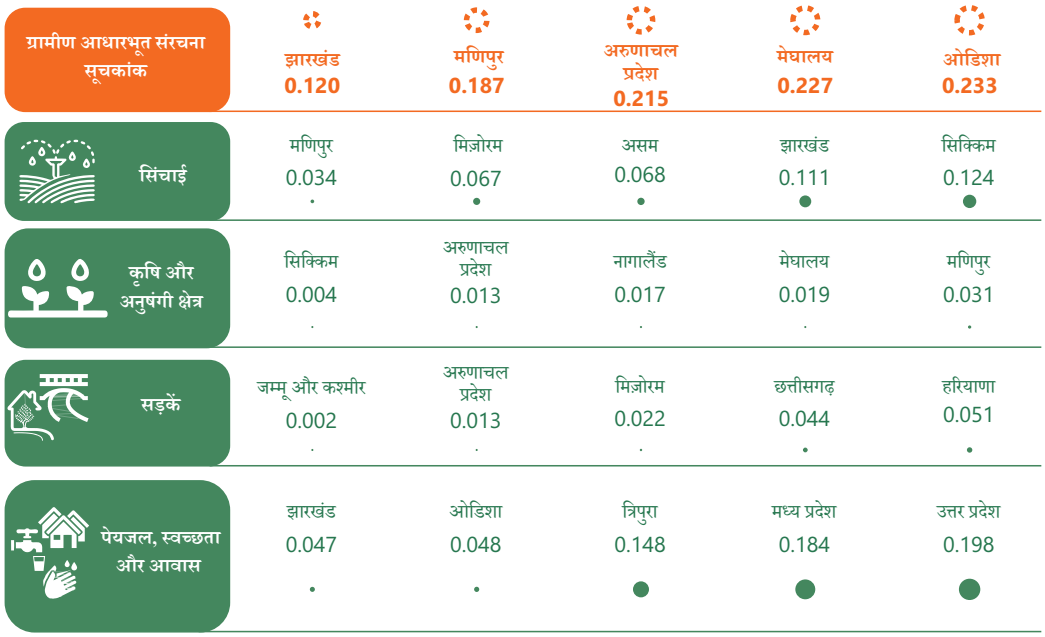

नोट: रिपोर्ट में ग्रामीण संरचना सूचकांक (आरआईआई) के नौ कारकों के आकलन की तीन पद्धतियां अपनाई गई हैं, उदाहरणार्थ समान महत्व, विशेषज्ञ के मत के आधार पर अनुमानित महत्व, और प्रधान कारक विश्लेषण (पीसीए) के आधार पर महत्व. उक्त चित्र में पीसीए के आधार पर राज्य-वार आधारभूत संरचना सूचकांक दिया गया है.

स्रोत: राजकुमार डेनिस जे, विजयता बी सावंत और एस एल शेट्टी (2020), *ईपीडब्ल्यू अनुसंधान फाउंडेशन*, मुंबई द्वारा राज्य-वार ग्रामीण आधारभूत संरचना सूचकांक का निर्माण, (नाबार्ड द्वारा प्रायोजित)

गतिविधियों (0.1 के कम) की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और इसलिए इन राज्यों में कृषि संबंधी आधारभूत संरचना में अधिक निवेश की पूरी संभावना है. यथापेक्षा, सड़कों की कनेक्टिविटी की दृष्टि से उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकतर हिमालयीन और पहाड़ी राज्यों का ग्रामीण आधारभूत संरचना सूचकांक बहुत निम्न है. तथापि यह बहुत ही चिंताजनक है कि यह सूचकांक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे अधिक आबादी वाले और प्रगतिशील राज्यों में भी 0.2 से कम है. सामाजिक आधारभूत संरचना में निम्न आधारभूत संरचना सूचकांक (0.5 से कम) वाले बड़े राज्यों में न केवल झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं बल्कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार भी शामिल हैं. इन राज्यों में इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जानी अपेक्षित है.[15]

2.3 ग्रामीण आधारभूत संरचना में सरकार की पहलें

क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई, ग्रामीण कनेक्टिविटी, फ़सलोपरांत आधारभूत संरचना और डिजिटल नेटवर्क सहित ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास पर ज़ोर दिया गया था. वर्तमान[16] में देश में निवल बुवाई क्षेत्र में से लगभग 49% सिंचित क्षेत्र है. निवल सिंचित क्षेत्र की प्रगति स्थिर है [वित्तीय वर्ष 1996 और वित्तीय वर्ष 2015 के बीच चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) केवल 1.3% थी][17] देश की ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई वित्तीय वर्ष 1951 में 0.2 मिलियन कि. मी. थी जो कि वित्तीय वर्ष 2017 में 20 गुना बढ़कर 4.2 मिलियन कि. मी. हो गई.[18] भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) का अनुमान है कि सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों में भांडागारों के रूप में 162.7 मिलियन टन की भंडारण क्षमता उपलब्ध थी.[19] इसके अलावा, कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) की मंडियों में इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ारों (ई-नाम) के अलावा भारत नेट परियोजना का उद्देश्य देश में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड आधारभूत संरचना स्थापित करना है.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), एसपी मुखर्जी रूरबन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम-जी), जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य पैकेज जैसी सरकारी योजनाओं में सभी प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना पर फोकस किया गया है (चित्र 2.3 और परिशिष्ट अ2.1).

वित्तीय वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय संबंधी अनुमान में पिछले वर्ष की तुलना में 34.5% अर्थात् ₹5.54 लाख करोड़ की वृद्धि की

चित्र 2.3: ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज

कृषि आधारभूत संरचना निधि	• ₹1,00,000 करोड़ • खेत पर अथवा समेकन स्थानों, पैक्स, एफ़पीओ, कृषि उद्यमों, स्टार्ट-अप आदि से संबंधित फसलोपरांत आधारभूत संरचना परियोजनाएं
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	• ₹20,050 करोड़ • मत्स्य बंदरगाह, शीत भंडारण
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के औपचारीकरण के लिए योजना	• ₹10,000 करोड़ • सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को एफ़एसएसएआई खाद्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए • क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण
पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि	• ₹15,000 करोड़ • दुग्ध प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, पशु चारे संबंधी आधारभूत संरचना • विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के लिए संयंत्रों की स्थापना

नोट: एफ़पीओ= कृषक उत्पादक संगठन; एफ़एसएसएआई = भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण; एमएफ़पीई = सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम; पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समितियां.

स्रोत: आत्मनिर्भर भारत मिशन वेबसाइट से समेकित, https://aatmanirbharbharat.mygov.in/.

चित्र 2.4: केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2022: ग्रामीण आधारभूत संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं

नोट:

1. एआईएफ़ = कृषि आधारभूत संरचना निधि; एपीएमसी = कृषि उत्पाद विपणन समिति; ई-नाम = इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार; आरआईडीएफ़ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि.
2. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन संबंधी विवरण के लिए परिशिष्ट अ2.2 देखें.

स्रोत: केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का वित्तीय वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय बजट भाषण

गई. ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए प्रमुख बजट घोषणाएं चित्र 2.4 में प्रस्तुत की गई हैं.

2.4 भारतीय ग्रामीण आधारभूत संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां

राष्ट्रीय आधारभूत संरचना पाइपलाइन पर बनी कार्यदल की रिपोर्ट में भारत में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रमों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों की पहचान की गई है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है.[20] उसमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय भी सुझाए गए हैं (तालिका 2.1).

तालिका 2.1: ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास की चुनौतियां और समाधान

सेक्टर	*चुनौतियां*	*सुझाए गए उपाय*
ग्रामीण आवासन "2022 तक सभी के लिए आवास"	भूमि की अनुपलब्धता; अपर्याप्त वित्त; और कानूनी बाधाएं	भूमि का कार्यक्षम उपयोग; वित्त और वित्तपोषण की नवोन्मेषी प्रणाली तक आसानी से पहुंच; और राष्ट्रीय आवास बैंक में किफ़ायती आवास निधि की स्थापना करना
सड़कें	ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति	राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए तैयार की गई नीति का अनुपालन
जल आपूर्ति और स्वच्छता	खराब आपूर्ति	विकेंद्रीकृत सेवा आपूर्ति मॉडल जिसमें ग्रामीण पंचायतों और स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका हो

आधारभूत संरचना की खराब गुणवत्ता आर्थिक अकुशलता का प्रमुख कारण है. आधारभूत संरचना की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए समान विनियमन और परिणाम आधारित कार्यनिष्पादन मानक, मानकों के अद्यतनीकरण/ निर्धारण के लिए सतत प्रक्रिया, अनुपालन प्रणाली में सुधार, विकास नीति से अनुकूलता और सामाजिक तथा पर्यावरणीय संधारणीयता सहायक होंगे. इसलिए कार्यदल ने यह अनुशंसा की कि वैश्विक और राष्ट्रीय मानकों के आधार पर आधारभूत संरचना की गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाए.[21]

2.5 ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए निवेश के अवसर

आधारभूत संरचना की कमियों को दूर करने के लिए ग्रामीण भारत में निवेश के व्यापक अवसर हैं. इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं.

2.5.1 डिजिटल आधारभूत संरचना

> 'आधारभूत संरचना का अर्थ केवल राजमार्ग नहीं बल्कि उसमें सूचना के महामार्ग भी शामिल हैं. भविष्य में ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बनाना है.'
>
> – श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री

भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत नेट सहित विभिन्न पहलें की हैं. इस परियोजना के अंतर्गत राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी से ब्रॉडबैंड हाईवेज के लिए किसी भी पक्षपात के बिना आधारभूत संरचना का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों के नागरिकों और संस्थाओं को किफ़ायती दरों पर ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा सकें.[22]

2.5.2 बाज़ार और मूल्य शृंखला संबंधी आधारभूत संरचना

शीत-भंडारण व्यवस्थाओं के अभाव के कारण भारत के किसान पहला अवसर पाते ही अपने उत्पाद को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और अक्षम थोक बाज़ारों में बेचने के लिए मजबूर होते हैं.[23] इसके अलावा खेत के पास खाद्य प्रसंस्करण संबंधी आधारभूत संरचना के अभाव में फसलोपरांत 25% से 30% हानि होती है. यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत भारत सरकार ने फूड पार्कों और शीत भंडारण संबंधी आधारभूत संरचना में निवेश को प्राथमिकता प्रदान की है, तथापि भारत में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और देश के पूर्वी राज्यों और मध्यवर्ती क्षेत्र के राज्यों में मूल्य शृंखला संबंधी आधारभूत संरचना में निवेश की और अधिक संभावना है.

2.5.3 कृषि निर्यात संबंधी आधारभूत संरचना

कृषि निर्यात नीति (एईपी), 2018 में यह सूचित किया गया है कि सभी राज्यों में निर्यात-आधारित क्लस्टरों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात के लिए उपलब्ध अधिशेष उत्पाद का भौतिक स्वरूप और गुणवत्ता निर्यात के लिए अपेक्षित मानदंडों के अनुरूप हों.[24] इसके अलावा कृषि निर्यात नीति में कृषि पण्यों में मूल्य वर्धन करने के लिए साझा कृषि सुविधा से युक्त निर्यात ज़ोन (एईज़ेड) की स्थापना की अनुशंसा की गई है. कृषक उत्पादक संगठनों को कृषि निर्यात ज़ोन से जोड़े जाने की आवश्यकता है. भारत सरकार को राज्य सरकारों के सहयोग से डेयरी निर्यात ज़ोन के विकास पर विचार करने की आवश्यकता है.[25]

2.5.4 आपदा का सामना करने में सक्षम आधारभूत संरचना

संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट एक्शन समिट में सितंबर 2019 में आपदा का सामना करने में सक्षम आधारभूत संरचना के लिए गठबंधन/ संघ की शुरुआत हुई. इस संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जोखिम और आधारभूत संरचना की सुदृढ़ता के मूल्यांकन की प्रक्रिया आरंभ की गई है ताकि बेहतर निर्णय लिए जा सकें और नीति निर्माण किया जा सके ताकि आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति से आधारभूत संरचना में किए गए निवेश को सुरक्षित रखा जा सके.[26]

2.5.5 ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत संरचना

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण डाटा में ग्रामीण स्वास्थ्य संकेतक में सुधार दर्शाया गया है,[27] तथापि महामारी (अन्न, स्वास्थ्य और आजीविका सुरक्षा के संबंध में हुई हानि सहित) ने ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना के सामने एक विशालकाय चुनौती खड़ी कर दी है. इसके कारण इस संरचना को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है.

2.5.6 आकांक्षी जिलों में आधारभूत संरचना विकास

नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के रूपांतरण कार्यक्रम (2018) (28 राज्यों में 115 जिलों के रूपांतरण) में (i) स्वास्थ्य और पोषण; (ii) शिक्षा; (iii) कृषि और जल संसाधन; (iv) वित्तीय समावेशन और कौशल विकास; और (v) सड़कों सहित मूल आधारभूत संरचना (पीएमजीएसवाई), आवास (पीएमएवाई-जी), पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, घरेलू शौचालय (एसबीएम-जी), इन्टरनेट कनेक्शन और साझा सेवा केंद्र पर बल दिया गया है.

2.5.7 सूक्ष्म आधारभूत संरचना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2030 तक दूर-दराज के गाँव संधारणीय विकास के लक्ष्य हासिल कर लें, सूक्ष्म आधारभूत संरचना दृष्टिकोण से कृषि, जल और बिजली सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्यधिक रूप से विकेंद्रीकृत, स्मार्ट, स्वच्छ, जलवायु अनुकूल व्यवस्था के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है. विश्व के 1-2 बिलियन निर्धनतम लोगों को उचित आधारभूत संरचना मुहैया करवाने के लिए विशेषज्ञ डिजाइनरों और निवेशकों को एकत्र कर साथ लिया जा सकता है.[28] विद्यमान केंद्रीकृत प्रणालियों (उदा. बिजली ग्रिड), स्टैंड-अलोन मिनी-नेटवर्कों (उदा. मध्यम/ छोटे/ अत्यंत लघु गाँवों के लिए मिनी/ माइक्रो/ पिको ग्रिड) अथवा घर-आधारित सेवाएं (जैसे सौर ऊर्जा पर आधारित घरेलू प्रणालियां और घरेलू पानी की टंकियां) के उचित आधुनिक मिश्रण का उपयोग करते हुए प्रत्येक घर तक बिजली अथवा पाइप के माध्यम से जल की आपूर्ति जैसे समाधान हो सकते हैं.

2.6 ग्रामीण आधारभूत संरचना में नाबार्ड का योगदान

भारत में ग्रामीण आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नाबार्ड एक प्रमुख संस्था है. अपनी 26 वर्ष की यात्रा के दौरान आरआईडीएफ़ राज्य सरकारों को ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक विश्वसनीय, किफायती और समय पर उपलब्ध होने वाले स्रोत के रूप में उभरा है.[29] नाबार्ड द्वारा संचयी रूप से (आरआईडीएफ़ I – XXVI) ₹4,09,063 करोड़ (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार) की राशि राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों को मंजूर की गई जिसमें भारत निर्माण कार्यक्रमों के लिए पूर्व में मंजूर ₹18,500 करोड़ की राशि शामिल है (चित्र 2.5).[30]

चित्र 2.5: 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (I-XXVI) के अंतर्गत क्षेत्र-वार संचयी मंजूरियां, हिस्सा और प्रगति

	सिंचाई	कृषि संबंधी	कनेक्टिविटी	सामाजिक क्षेत्र
संचयी मंजूरियां (₹ करोड़)	1,25,044	45,486	1,47,210	72,823
हिस्सा (%)	32.0	11.7	37.7	18.6
सीएजीआर (%)	11.4 (वित्त 1996–वित्त 2021)	14.3 (वित्त 1996–वित्त 2021)	9.5 (वित्त 1997–वित्त 2021)	12.5 (वित्त 2005–वित्त 2021)
एएजी (%)	10.8	29.6	10.8	17.9
शीर्ष 10 राज्य	जीजे, एमपी, यूपी, ओडी, एमएच, एपी, सीएच, आरजे, टीएन, डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबी, यूपी, ओडी, टीएन, केएल, एपी, आरजे, एएस,बीएच, जीजे	बीएच, जेएच, ओडी, यूपी, टीएन, डब्ल्यूबी,आरजे, एपी, केएन, एएस	आरजे, टीएन, एपी, जीजे, टीएल, केएन, एमपी, केएल, ओडी, एचआर

कुल मंजूरियां ₹4,09,063 (भारत निर्माण के अंतर्गत ₹18,500 करोड़ सहित)

नोट: एएजी = औसत वार्षिक प्रगति; एपी = आंध्र प्रदेश; एएस = असम; बीएच = बिहार; सीएजीआर = चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर; सीजी = छत्तीसगढ़; जीजे = गुजरात; एचआर = हरियाणा; जेएच = झारखंड; केएल = केरल; केएन = कर्नाटक; एमएच = महाराष्ट्र; एमपी = मध्य प्रदेश; ओडी = ओडिशा; आरजे = राजस्थान; टीएल = तेलंगाणा; टीएन = तमिलनाडु; यूपी = उत्तर प्रदेश; डब्ल्यूबी = पश्चिम बंगाल.

स्रोत: नाबार्ड से प्राप्त आंकड़े.

31 मार्च 2021 तक प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत मंजूर आरआईडीएफ़ परियोजनाओं के पूरा होने के बाद संचयी लाभ हुए जिनमें 349.3 लाख हेक्टेयर की सिंचाई संभाव्यता, 4.90 लाख किमी (सड़कों की लंबाई) की ग्रामीण सड़कें, 12.3 लाख मीटर के ग्रामीण पुल शामिल हैं. इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं से 2,000 करोड़ श्रम दिवसों के अनावर्ती रोजगार का सृजन हुआ.

नाबार्ड वित्तीय वर्ष 2017 से दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़) के अंतर्गत भारत सरकार और इच्छुक राज्य सरकारों के एसपीवी, एनडब्ल्यूडीए को चयनित बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए निधि प्रदान करता है. 31 मार्च 2021 को एलटीआईएफ़ के अंतर्गत ₹84,326.6 करोड़ के संचयी ऋण मंजूर किए गए और ₹52,479.7 करोड़ की राशि जारी की गई. एलटीआईएफ़ की व्यवस्था का उद्देश्य 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 99 चयनित परियोजनाओं की कुल सिंचाई संभाव्यता में 41.4 लाख हेक्टे. की वृद्धि कर उसे 76.02 लाख हेक्टे.की अधिकतम सिंचाई संभाव्यता तक पहुँचाना है. 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार एलटीआईएफ़ के अंतर्गत 21.3 लाख हेक्टे.की वृद्धिशील सिंचाई संभाव्यता प्राप्त की गई थी जिससे कुल 62.7 लाख हेक्टे की सिंचाई प्राप्त की गई जो अंतिम लक्ष्य से 13.3 लाख हेक्टे. ही कम है.

आरआईडीएफ़, दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़), और नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत नाबार्ड की संचयी मंज़ूरियां ₹2,34,195.5 करोड़ (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार) हैं जिनकी वजह से कुल 381.2 लाख हेक्टे. (चित्र 2.6) की सिंचाई संभाव्यता का निर्माण हुआ.

चित्र 2.6: 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए नाबार्ड की विभिन्न निधियों के अंतर्गत संचयी मंज़ूरियां और सिंचाई संभाव्यता

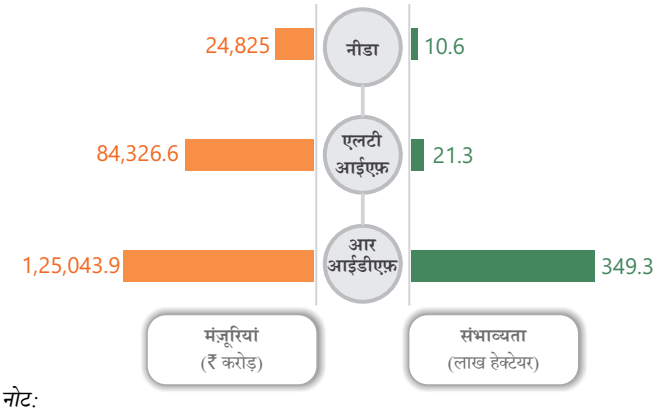

नोट:

1. एलटीआईएफ़ = दीर्घावधि सिंचाई निधि; एनआईडीए (नीडा) = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता; आरआईडीएफ़ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि.
2. नीडा के अंतर्गत मंज़ूरियों में सूक्ष्म सिंचाई शामिल है.

स्रोत: नाबार्ड से प्राप्त आंकड़े.

वित्तीय वर्ष 2011 में नाबार्ड द्वारा स्थापित नीडा (एनआईडीए) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ कॉर्पोरेट क्षेत्र को सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) के माध्यम से आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए व्यापक स्तर पर लचीले विकल्प दिए गए हैं. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार नीडा के अंतर्गत ₹57,724.3 करोड़ की संचयी मंज़ूरियां की गई हैं.

कृषि क्षेत्र में फ़सलोपरांत सबसे पहले भंडारागारों और शीत भंडारणों में निवेश पर बल दिया जाता है जिससे विस्तारित अवधि के लिए इनवेंटरी रखने, किसानों को अपने उत्पाद की मजबूरन बिक्री से बचाने; बेहतर मूल्य निर्धारण और भंडारागारों की इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य रसीदों के माध्यम से किसानों को फ़सलोपरांत ऋण सहायता प्रदान की जा सके. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भंडारागार आधारभूत संरचना निधि (भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 में नाबार्ड में स्थापित) के अंतर्गत 12.7 मिलियन टन की कुल अभिकल्पित क्षमता के लिए ₹9,728 करोड़ की संचयी मंज़ूरियां दी गईं और ₹7,620.7 करोड़ का संचयी संवितरण किया गया (तालिका 2.2).

तालिका 2.2: 31मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार उत्कृष्ट राज्यों में भंडारागार आधारभूत संरचना निधि की स्थिति

	कुल अभिकल्पित क्षमता (एमटी)	*कुल मंज़ूरियां (₹ करोड़)*	*कुल संवितरण (₹ करोड़)*
तमिलनाडु	1.8	2,520.9	2,088.4
कर्नाटक	1.3	1,700.5	1,366.2
तेलंगाणा	1.8	951.7	852.3
कुल (सभी राज्य)	**12.3**	**9,575.4**	**7,484.0**
अन्य एजेंसियों को ऋण	0.4	152.7	136.7
कुल	**12.7**	**9,728.0**	**7,620.7**

स्रोत: नाबार्ड.

नाबार्ड के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भारत में आधारभूत संरचना के वित्तपोषण में मांग की तुलना में कमी बनी हुई है.

2.7 ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

कम और मध्यम आय वाले देशों में आधारभूत संरचना पर व्यय में अनुमानित अंतर औसतन 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर[31] के बराबर है – घरेलू राजस्व से उसे पूरा करना इनमें से बहुत से देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है. चीन की अर्थव्यवस्था अब उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था[32] बन गई है. यह उक्त में से कुछ अपवादों में से एक है (बॉक्स 2.3). लगभग आठ दशकों से बहुपक्षीय विकास बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं (डीएफ़आई) ने इस अंतर को पाटने के लिए इन

बॉक्स 2.3: चीन में आधारभूत संरचना विकास

आधारभूत संरचना के कारण चीन की आर्थिक प्रगति हुई है.[क] 2017 में चीन के सकल घरेलू उत्पाद में निवेश का हिस्सा 45% था – इसका 5वें से अधिक हिस्सा आधारभूत संरचना से था (सकल घरेलू उत्पाद का >9%). विश्व की सबसे ऊंची रेल (और अभी भी उसका विस्तार हो रहा है), सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन और सबसे बड़ी जल अंतरण प्रणाली, ये सभी चीन में हैं.[ख] कोविड-19 वैश्विक महामारी के जवाब में चीन नई राष्ट्रव्यापी डिजिटल आधारभूत संरचना तैयार कर रहा है – 5जी नेटवर्क, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), इंटर-सिटी हाई स्पीड रेल, डिजिटल औद्योगिक आधारभूत संरचना और अनुसंधान और विकास संस्थाएं. ये उपाय कभी कभी पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो जाते हैं. भौतिक आधारभूत संरचना में सुधार संबंधी चीन के मॉडल में मानव पूँजी के निर्माण के साथ साथ नीति, आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण और बड़ी परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी शामिल है. यह मॉडल अन्य देशों के लिए भी अनुकरणीय है.[ग]

स्रोत:

क. चुआन, लियांग (2008), इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन चाइना, कुमार, एन (संपादक), इंटरनेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन ईस्ट एशिया – टूवर्ड्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड इंटिग्रेशन, ईआरआईए रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2007-2, चीन : आईडीई-जेईटीआरओ, पीपी 85-104.

ख. ज़ीशान मोहम्मद (2020-21) *फ्लाइंग ब्लाईंड; इंडियाज़ क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप*, पेंग्विन रेंडम हाउस इंडिया.

ग. साहू, प्रवाकर, रंजन, दाश और गीतांजली नटराज (2010), इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ईकोनोमिक ग्रोथ इन चाइना, आईडीई डिस्कशन पेपर्स 261, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकोनोमीज, जापान एक्स्टर्नल ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (जेईटीआरओ)

वित्तीय वर्ष 2019-25 के लिए महत्वाकांक्षी एनआईपी का उद्देश्य है आधारभूत संरचना हेतु परिव्यय बढ़ाना ताकि भारत की अर्थ व्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके.

चित्र 2.7: बहुपक्षीय और क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

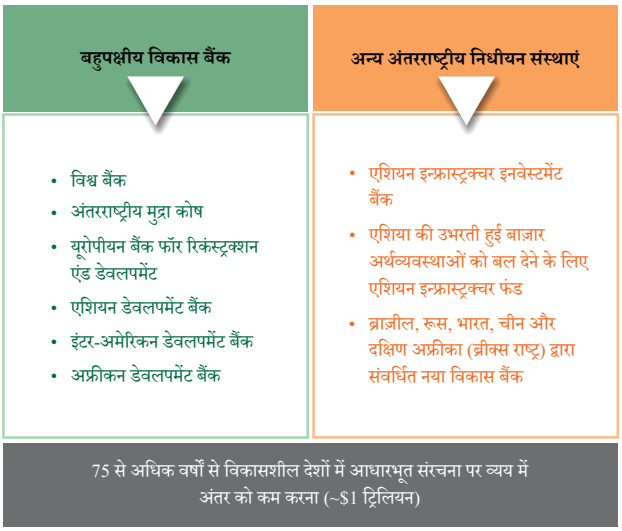

स्रोत: लेखक द्वारा संकलित

अर्थव्यवस्थाओं को सहायता प्रदान की है (चित्र 2.7).[33] इनमें से कई संस्थाएँ संधारणीय संवृद्धि के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने की दृष्टि से सुलभ दीर्घावधि ऋण और तकनीकी तथा परामर्शी सेवाएं प्रदान करती हैं.

विश्व बैंक ने आधारभूत संरचना में निवेश के लिए बड़े वैश्विक अवसर की पहचान की है बशर्ते सुदृढ़ आधारभूत संरचना का अभिशासन मौजूद हो. सदस्य देशों में बड़े आकार की आधारभूत संरचना के वित्तपोषण की आवश्यकता के अंतर को पाटने के लिए निजी पूंजी की मदद ली जा सकती है.[34]

2.7.1 भारत में ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

भारत की जनसंख्या चीन के समान ही है किंतु उसका सकल घरेलू उत्पाद चीन के सकल घरेलू उत्पाद के एक चौथाई से कम है. आधारभूत संरचना के लिए हमारा कुल परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 5.2% है जो चीन के इस आंकड़े के आठवें हिस्से से भी कम है. चूंकि भारत वित्तीय वर्ष 2025[35] तक अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आकार की बनाने के लिए प्रयास कर रहा है इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-वित्तीय वर्ष 2025 के लिए महत्वाकांक्षी एनआईपी का उद्देश्य इस अंतर को कम करना है. इस दौरान ग्रामीण भारत के लिए एनआईपी के अंतर्गत अलग-अलग वर्षों में ₹7.7 लाख करोड़[36] से अधिक व्यय परिकल्पित किया गया है जो आधारभूत संरचना में बड़ी वृद्धि लाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. भारत की ग्रामीण आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए मुख्य स्रोत निम्नानुसार हैं :

1. **केंद्रीय बजटीय संसाधन:** ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2018 और वित्तीय वर्ष 2022 के बीच केंद्र द्वारा प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं के माध्यम से ₹15 हज़ार करोड़ से अधिक पूंजीगत व्यय(चित्र 2.8).

चित्र 2.8: ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए चुनिंदा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर पूंजीगत व्यय

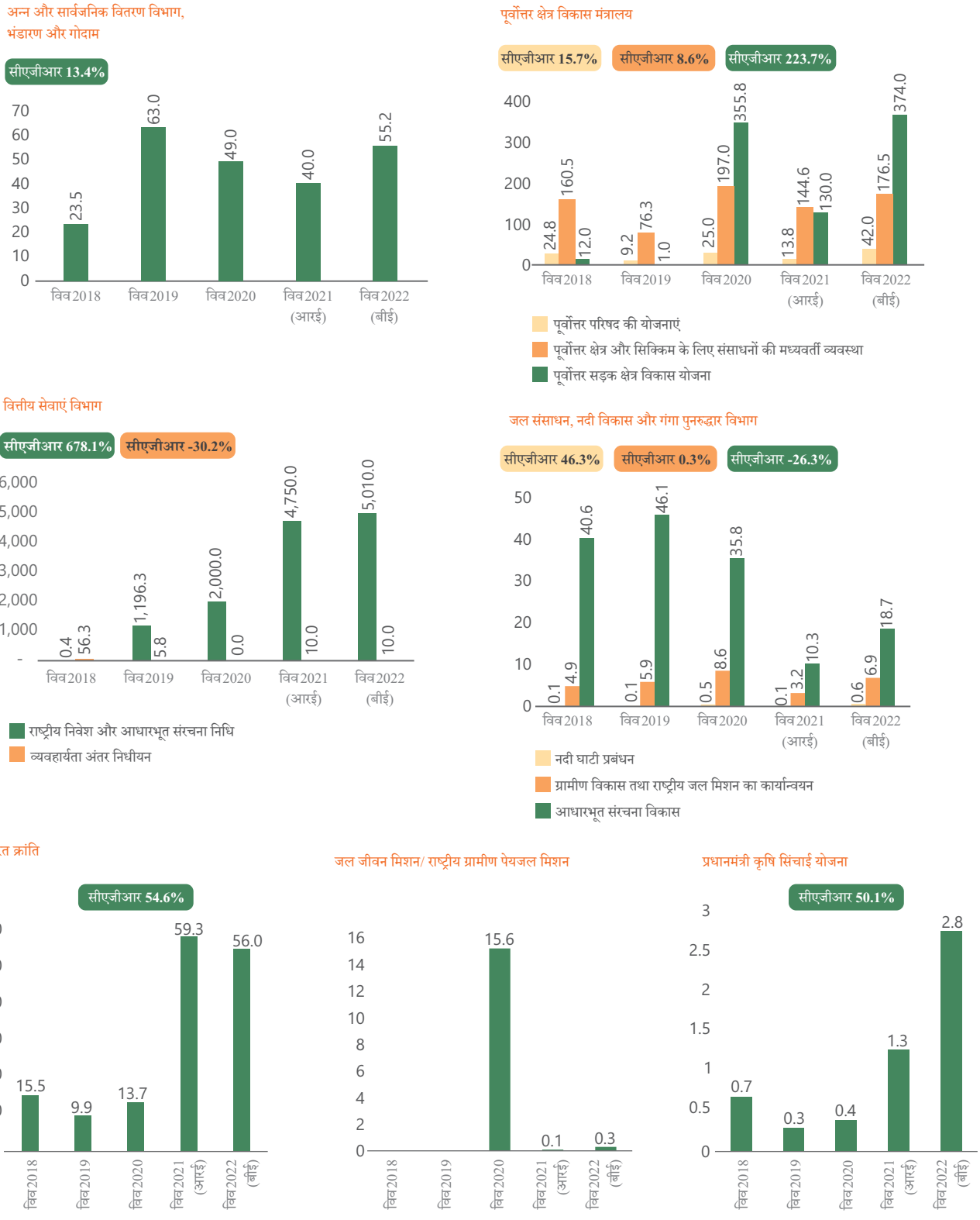

नोट:

1. बीई=बजट अनुमान; सीएजीआर = चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर; आरई = संशोधित अनुमान.
2. सीएजीआर = वित्तीय वर्ष 2018-वित्तीय वर्ष 2022 की अवधि के लिए परिकलित.

स्रोत: व्यय प्रोफ़ाइल, वित्तीय वर्ष 2020, वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय बजट दस्तावेज़, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.

2. **राज्यों का बजट:** 18 प्रमुख राज्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017 और वित्तीय वर्ष 2021 के बीच सिंचाई, भंडारण, भंडारागारों, अन्य कृषि और अनुषंगी क्षेत्र संबंधी आधारभूत संरचना पर लगभग ₹5.1 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय (चित्र 2.9).
3. **अतिरिक्त बजटीय संसाधन:** वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पूर्ण रूप से सर्विस्ड बॉन्ड जारी कर भारत सरकार ने ₹1.4 लाख करोड़ की राशि जुटाई.[37]
4. **बैंक ऋण:** बैंकों को चाहिए कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का एक हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अनुकूल शर्तों (भारतीय रिज़र्व

नाबार्ड, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के प्रावधानों के अधीन, राज्यों को आरआईडीएफ़ के अंतर्गत बैंक दर से 1.5% कम दर पर कम लागत की निधियां प्रदान करता है.

चित्र 2.9: वित्तीय वर्ष 2021 में प्रमुख राज्यों में राज्य के बजट से कृषि संबंधी आधारभूत संरचना पर पूंजीगत व्यय (बजट अनुमान; ₹ करोड़)

नोट:

1. सीएजीआर = चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर; बीई = बजट अनुमान; आरई = संशोधित अनुमान.
2. सीएजीआर = वित्तीय वर्ष 2017-वित्तीय वर्ष 2021 की अवधि के लिए परिकलित.
3. कृषि संबंधी आधारभूत संरचना पर पूंजीगत व्यय में सिंचाई, कृषि संबंधी अन्य आधारभूत संरचना, भंडारण, भंडारागार और अनुषंगी क्षेत्र संबंधी आधारभूत संरचना शामिल है.

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (विभिन्न वर्ष) *राज्य वित्त : बजटों का अध्ययन* (2018-19, 2019-20 और 2020-21 अंक), भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार) पर अवश्य प्रदान करें ताकि कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती हुई राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक आधारभूत संरचना के लिए पूंजी दी जा सके.[38]

5. **निजी निवेश**
   - क. ***सार्वजनिक-निजी साझेदारियां:*** 24 राज्यों में केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य विशिष्ट भंडारण निगमों के साथ निजी सहभागिता (निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत) के माध्यम से भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है.
   - ख. ***व्यवहार्यता अंतर निधीयन (वीजीएफ़):*** संशोधित आधारभूत संरचना वीजीएफ़ योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2004 से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि आर्थिक रूप से युक्तिसंगत – वित्तीय रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश किया जा सके. वित्तीय वर्ष 2021 में इस योजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2025 तक बढ़ाया गया है.

6. **ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए वित्तपोषण के अन्य नवोन्मेषी विकल्प**
   - क. ***आस्ति मुद्रीकरण:*** वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में संभावित ब्राउनफील्ड आधारभूत संरचना आस्तियों की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का प्रस्ताव किया गया था – जिसे आस्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया जाना था. कुछ कृषि और ग्रामीण आस्तियों जैसे भंडारण – यहां तक कि रेलवे की आधारभूत संरचना के मुद्रीकरण को आस्ति मुद्रीकरण के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है.
   - ख. ***टेक-आउट फाइनेंस स्कीम:*** इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड सड़कों, पुलों, कोल्ड चेनों, गोदामों और बिजली[39] जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के वित्तपोषण के कारण आस्ति-देयता में असंतुलन को कम करने के लिए शेष ऋण राशि के 100% तक का वित्तपोषण प्रदान करती है. इससे नई परियोजनाओं के लिए पूंजी उपलब्ध करवाने में भी सहायता मिलती है.
   - ग. ***पेंशन और बीमा निधियां:*** इन दीर्घकालिक, कम जोखिम-स्थिर रिटर्न वाली निधियों ने दुनिया भर में[40] आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण में रुचि व्यक्त की है. एनआईपी पर कार्यदल की रिपोर्ट में कहा गया है कि आधारभूत संरचना के निर्माण के पश्चात् और उसके परिचालनात्मक स्तरों पर निवेश में इनकी रुचि हो सकती है.[41]

7. **राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड):** भारत में आधारभूत संरचना के विकास के लिए दीर्घावधि, दायित्व रहित (नॉन रिकोर्स) वित्तपोषण हेतु विकास वित्तीय संस्थान के रूप में नैबफ़िड की परिकल्पना की गई है. नैबफ़िड के कार्यों में बॉन्डों और व्युत्पन्न बाज़ारों के विकास का कार्य भी शामिल है. आशा है कि नैबफ़िड बिजली, बंदरगाह और हवाई अड्डों जैसी बड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा. तथापि चूंकि इसका क्षेत्राधिकार पूरा देश होगा इसलिए यह उच्च लागत वाली ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण में भी शामिल हो सकता है.

2.8 $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना हेतु दृष्टिकोण

महामारी के बाद आर्थिक सुधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को उसके दीर्घकालिक विकास पथ पर वापस लाने में निरंतर और उचित उपायों की आवश्यकता होगी. समग्र आर्थिक विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए आधारभूत संरचना क्षेत्र के पुनरुद्धार की आवश्यकता होगी. ग्रामीण भारत के निर्माण में ग्रामीण आधारभूत संरचना में किए जाने वाले निवेश में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- फसल कटाई के पश्चात् उपयोग में आने वाली आधारभूत संरचनाओं यथा भंडारण, कोल्ड चेन, फूड पार्क, लोजिस्टिक्स, फार्म गेट के पास मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर में अधिक-से-अधिक निवेश करना और सभी एपीएमसी बाज़ारों के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाज़ारों और डब्ल्यूडीआरए से मान्यता प्राप्त भंडारागारों का और अधिक विस्तार करना तथा उन्हें सुदृढ़ करना.
- पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी और पीएमकेएसवाई- प्रति बूंद अधिक फसल के माध्यम से सिंचाई के द्वारा सभी खेतों को कवर करना और सूक्ष्म सिंचाई सहित सिंचाई में निवेश को अधिक बढ़ाना.
- भारत सरकार, नाबार्ड और कारपोरेट क्षेत्र द्वारा ग्रामीण कनेक्टिविटी (सड़कों, पुलों और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को शामिल करते हुए) में निवेश बढ़ाना.
- शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ग्रामीण भारत में सौर और पवन ऊर्जा में निवेश के लिए रोडमैप तैयार करना (बॉक्स 2.4).
- विषम परिस्थितियों में होने वाली हानि को कम करने के लिए नई और मौजूदा आधारभूत संरचना को जलवायु और आपदा अनुकूल बनाना सुनिश्चित करना.[42]
- कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी के साथ-साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक आधारभूत संरचना पर खर्च.
- क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी और आय असमानता को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचना का विकास करना.[43]
- केंद्र और राज्य के बजटीय आबंटन में वृद्धि, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जुटाने और नाबार्ड द्वारा आरआईडीएफ और नीडा के अंतर्गत वित्तपोषण के साथ-साथ नैबफिड, वीजीएफ, पीपीपी, आस्ति मुद्रीकरण, टेक-आउट फाइनेंसिंग, तथा पेंशन और बीमा निधि के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण.

बॉक्स 2.4: हरित ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

पैरिस समझौते के तहत भारत द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुसार 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय विद्युत शक्ति क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें 2030 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म-आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है. एनडीसी के तहत 2030 तक भारत में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की तीव्रता में 2005 के स्तर की तुलना में प्रति इकाई जीडीपी 33%-35% की कमी लाने तथा वन क्षेत्र में वृद्धि करके 2.5-3.0 बिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है. लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण भारत में हरित आधारभूत संरचना में निवेश के बड़े अवसर उपलब्ध हैं.

स्रोत: [*] भारत सरकार (2020), *वार्षिक रिपोर्ट 2019-20*, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, दक्षता से लाभ हासिल करने और प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए नई ग्रामीण आधारभूत संरचना का निर्माण और मौजूदा संरचनाओं का उन्नयन अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा. एनआईपी[44] पर टास्कफोर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह अर्थव्यवस्था में उच्च निवेश, विकास और रोजगार सृजन की एक अच्छी परंपरा को शुरू करने में मदद करेगा. यह वित्तीय वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की समग्र अर्थव्यवस्था और 1 ट्रिलियन डॉलर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाने और 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने में हमें सक्षम बनाएगा.

डॉ देबेश रॉय, अर्थशास्त्री और स्वतंत्र परामर्शदाता (roydebesh0203@gmail.com) द्वारा लिखित. यहाँ व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं और नाबार्ड के विचार इनसे भिन्न हो सकते हैं.

नोट

1. गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक.
2. एडीबी (2017), मीटिंग एशियाज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर नीड्स, एशियाई विकास बैंक, मनीला एडीबी (2017),
3. महामारी के बाद की अवधि में इस लक्ष्य को हासिल करना एक कठिन काम होगा, क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था में 8%-9% और कृषि में प्रति वर्ष 4%-5% की वार्षिक वृद्धि करनी होगी.
4. समर एंड हेस्टन, 1991, वर्ल्ड बैंक (1994) में उद्धृत, *वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994: इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट*, वर्ल्ड बैंक के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित, http://documents1.worldbank.org/curated/en/535851468336642118/pdf/131840REPLACEMENT0WDR01994.pdf
5. गनेल्ली, जियोवानी और जुहा तेरवाला (2015), द वेल्फेयर मल्टीप्लायर ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, *आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यूपी/16/40*, फरवरी 2015, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष.
6. वॉन थुनेन और जोहान हेनरिक (1842), डेर आइसोलिट्रे स्टैट, पहला संस्करण 1826, दूसरा संस्करण 1842, सी.एम. वार्टेनबर्ग और पी. हॉल (1966), पेर्गमोन प्रेस, लंदन |[6] द्वारा प्रारम्भिक परिचय और टिप्पणियों के साथ अनूदित. रतन, वी.डब्ल्यू., (1984), कृषि विकास के मॉडल, कार्ल के. आयशर और जॉन एम. स्टैट्ज़ (संपादन), *एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन थर्ड वर्ल्ड*, जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस, बाल्टीमोर, पीपी: 38–45. |[6] मेलर, जॉन डब्ल्यू. (1976), द *न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ: स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड*, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, इथाका, न्यूयॉर्क
7. बार्न्स, डी. और एच.पी. बिन्सवांगर (1986), इम्पैक्ट ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एग्रीकल्चरल चेंजेस 1966-1980, *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 21(1): 26-34. बिसवांगर, एच.पी., पी.एस.आर. खंडकुर, और एम.आर. रोसेनज़वेग (1989), आधारभूत संरचना और वित्तीय संस्थान किस तरह से भारत में कृषि उत्पादन और निवेश को प्रभावित करते हैं, *नीति आयोजना और अनुसंधान वर्किंग पेपर संख्या 163*, वर्ल्ड बैंक, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्री डिपार्टमेंट II, वाशिंगटन, डीसी |[7] एस. फैन, पी. हेज़ल, और एस. थोराट (1999) *लिंकजेस बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ग्रोथ एंड पावर्टी इन रुरल इंडिया*, आईएफपीआरआई अनुसंधान रिपोर्ट 110, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, वाशिंगटन डी.सी. |[7] नारायणमूर्ति, ए और एमए हंजरा (2006), रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट लिंकेज: 256 भारतीय जिलों का अध्ययन, *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स*, 61 (3): 444-459
8. अशोक गुलाटी, रंजना रॉय, और श्वेता सैनी (संपादन) (2021) *रिवाइटलाईजिंग इंडियन एग्रिकल्चर एंड बूस्टिंग फार्मर इंकम्स*, स्प्रिंगर, नई दिल्ली.
9. भारत सरकार (2020ए), राष्ट्रीय *आधारभूत संरचना पाइपलाइन* खंड II पर कार्यदल की रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.
10. नौ ग्रामीण आधारभूत संरचना घटकों अर्थात सिंचाई; कृषि और संबद्ध गतिविधियां; ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी; ग्रामीण विद्युतीकरण; ग्रामीण दूरसंचार; स्वास्थ्य; शिक्षा; पेयजल, स्वच्छता और आवास का उपयोग करके निर्मित.
11. डेनिस जे. राजकुमार, विजयता बी. सावंत, और एस.एल. शेट्टी (2020), राज्य-वार ग्रामीण आधारभूत संरचना सूचकांक का निर्माण, इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली रिसर्च फाउंडेशन, मुंबई (नाबार्ड द्वारा प्रायोजित).
12. कोष्ठक में सिंचाई कवरेज.
13. भारत सरकार (2018ए), *कृषि सांख्यिकी 2018 एक झलक*, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, तालिका 4.5 (बी),
14. नोट सं II पर उल्लिखित अध्ययन से प्राप्त राज्यवार आरआईआई डेटा, नाबार्ड से प्राप्त आरआईडीएफ डेटा.
15. नोट सं II पर उल्लिखित अध्ययन से प्राप्त राज्यवार आरआईआई डेटा.
16. भारत सरकार (2018ए), नोट 13.
17. गणना भारत सरकार से प्राप्त आकंड़ों पर आधारित है. (2018ए) नोट-13.

18. भारत सरकार (2019), भारत के बुनियादी सड़क आँकड़े 2016-17, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार.

19. डब्लूडीआरए (2019), *वार्षिक रिपोर्ट 2018-19*, भांडागार विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, भारत सरकार.

20. भारत सरकार (2020ए), नोट-9, सभी खंड

21. भारत सरकार (2020ए), नोट-9, खंड I.

22. भारत सरकार (2021), *आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21*, खंड II, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.

23. भारत सरकार (2017), *किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में समिति की रिपोर्ट*, खंड III, पोस्ट-प्रोडक्शन एग्री-लॉजिस्टिक्स: किसानों के लिए लाभों को अधिकतम करना, अध्यक्ष: अशोक दलवई, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.

24. भारत सरकार (2018बी), *कृषि निर्यात नीति 2018*, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार.

25. रॉय देबेश (2021), किसानों की आय दोगुनी करना: कृषि निर्यात बढ़ाना महत्वपूर्ण है, *फाइनेंशियल एक्सप्रेस*, 12 जनवरी 2021.

26. भारत सरकार (2021), नोट 22.

27. भारत सरकार (2020बी), तथ्य पत्रक-मुख्य संकेतक, *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफ़एचएस-5) 2019-20*, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.

28. https://content.gihub.org/live/media/1718/micro- infra-exec-summary.pdf

29. इस रिपोर्ट के अध्याय 7 में ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए नाबार्ड द्वारा वित्तपोषण की जानकारी मिलती है.

30. भारत निर्माण के अंतर्गत मंजूरियों को छोड़कर.

31. आईएमएफ (2018), जॉर्डन श्वार्ट्ज (वर्ल्ड बैंक), 26 सितंबर, 2018. उभरते बाजारों में आधारभूत संरचना निवेश: रुझान, संरचनाएं और चुनौतियां. कम आय वाले देशों में आधारभूत संरचना पर संगोष्ठी श्रृंखला, आईएमएफ. https://www.imf.org/en/Topics/low-income-countries/LIC-Series/lics-infrastructure-seminar- series.

32. https://www.worldbank.org/en/country/china/overview.

33. कुछ प्रमुख संस्थानों में वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर-अमेरिकी विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक; एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और आसियान इन्फ्रास्ट्रक्चर निधि; और ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा संवर्धित डेवलपमेंट बैंक शामिल हैं जो एशिया में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे है.

34. रबाह अरेज़की, पैट्रिक बोल्टन, संजय पीटर्स, फ्रेडरिक समामा, और जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ (2016), फ्रॉम ग्लोबल सेविंग्स ग्लट टू फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: द एडवेंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म, आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यूपी 16/18, फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष.

35. वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वित्तीय वर्ष 2025 लक्ष्य वर्ष था. आर्थिक मंदी और महामारी के बाद के हालिया अनुमान के अनुसार 2029-2032 तक का समय भारत के लिए इस लक्ष्य को हासिल करने की संभावित समय सीमा हो सकती है.

36. https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/rural-infrastructure-sector-under-national-infrastructure-pipeline.

37. https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat27.pdf.

38. https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=11959.

39. https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/47083-001-ind-oth-02.pdf.

40. जॉर्ज इंडर्स्ट (2009), आधारभूत संरचना में पेंशन निधि निवेश, *बीमा और निजी पेंशन पर ओईसीडी वर्किंग पेपर* संख्या 32, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, पैरिस.

41. भारत सरकार (2020ए), नोट-9 खंड II.

42. भारत सरकार (2020ए), नोट-9 खंड II.

43. एन. योशिनो, एन. हेंड्रियाटी, और एस. लखिया (2019), क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट: वेज़ टू इंक्रीज़ रेट ऑफ़ रिटर्न फ़ॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, *एडीबीआई वर्किंग पेपर* 932, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट, टोकियो. https://www.adb.org/publications/quality-infrastructure-investment-ways-increase-rate-return.

44. भारत सरकार (2020), नोट-9 खंड II.

अध्याय 2 का परिशिष्ट

परिशिष्ट अ2.1: ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए भारत सरकार की योजनाएं

योजना	नोडल मंत्रालय	कुल आबंटित निधि/ परिव्यय (₹ करोड़)	मुख्य बातें
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, 2016	ग्रामीण विकास मंत्रालय	2,72,672.5	• 2022 तक सभी को आवास • लक्ष्य 2.2 करोड़ घर • मंजूर: 2 करोड़ • पूर्ण: 1.4 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2000		2,90,774.8 60:40 केंद्र और राज्य का हिस्सा (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10)	• निर्मित सड़कों की कुल लंबाई: 6.6 लाख किलोमीटर • पीएमजीएसवाई -III लक्ष्य: 1.3 लाख किलोमीटर • ग्राम्स, स्कूल और अस्पताल के लिए कनेक्टिविटी
एसपी मुखर्जी रुरबन मिशन, 2016		27,844.05 केंद्रीय और राज्य सरकार योजनाओं के माध्यम से 70% और नोडल मंत्रालय द्वारा 30% महत्वपूर्ण अंतराल के लिए निधीयन	• 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 300 रूरबन क्लस्टरों का विकास
स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण, 2014	जल शक्ति मंत्रालय	चरण II: 1,40,881	• 6.03 लाख ओडीएफ़ गाँव • 711 जिलों में ओडीएफ, 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
जल जीवन मिशन, 2019		3,60,000	• 15.7 करोड़ (83%) ग्रामीण घरों को 2024 तक नल का पानी प्रदान किया जाएगा
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, 2017	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	6,000	• मेगा फूड पार्क • एकीकृत शीतन शृंखला • ऑपरेशन ग्रीन्स
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, 2015	विद्युत मंत्रालय	75,893 राज्य सरकारों को 75% (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 90%) अनुदान प्रदान किया जाता है	• सभी परिवारों को बिजली • कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण • सभी जनगणना गांवों और परिवारों में बिजली पहुंचाना
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य, 2017		16,320 राज्य सरकारों को 75% (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 90%) अनुदान प्रदान किया जाता है	• 31 मार्च 2019 तक सभी परिवारों में बिजली पहुंचाना • 2.63 करोड़ परिवारों में बिजली पहुंचाई गई.

नोट: ग्राम = ग्रामीण कृषि बाजार; एचएच = परिवार; ओडीएफ़ = खुले में शौच से मुक्त; पीएमजीएसवाई = प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना; यूटी= केंद्र शासित प्रदेश.

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार.

परिशिष्ट अ2.2: राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

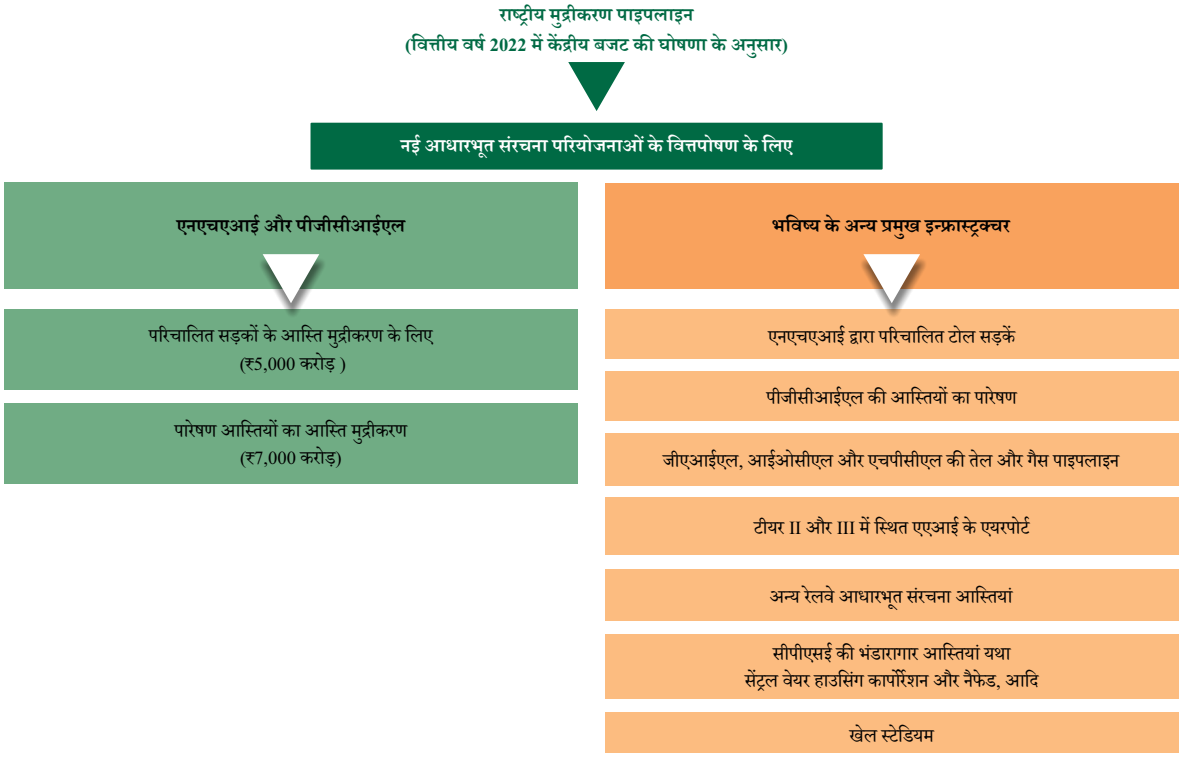

नोट: एएआई= एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया; सीपीएसई= सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेस; एचपीसीएल= हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड; आईओसीएल= इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड; एनएएफईडी= नैशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया; एनएचएआई= नैशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया; पीजीसीआईएल= पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2022 का केंद्रीय बजट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.